Halwai-cum-cook, clerk

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 134] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 23, 2017/फाल्गुन 4, 1938
No. 134] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 23, 2017/PHALGUNA 4, 1938

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2017

सा.का.नि. 166(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग, हलवाई (कैंटीन) भर्ती नियम, 1999 तथा खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग, लिपिक [किचन, कूपन, लेखा तथा सामान्य कर्तव्य (कैंटीन)] भर्ती नियम, 1999, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर, के अधीन हलवाई–सह-रसोईया तथा लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर, (हलवाई–सह-रसोईया तथा लिपिक) भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर: पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य शैक्षणिक अर्हताएं आदि - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयुसीमा-, शैक्षिक अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता-: वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुमेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृति:- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
हलवाई–सह-रसोईया	*01(2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा (समूह 'ग') अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-3 (21700-69100 रुपये)

चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित और शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं
(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता।	18 से 25 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए चालीस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण:-** आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी (न कि वह अन्तिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजौरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले, तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	(क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्थान से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण सहित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से खानपान में डिप्लोमा अथवा प्रमाण पत्र। (ख) किसी सरकारी विभाग में अथवा उपक्रम में खानपान सेवा में दो वर्ष का अनुभव। (ग) अभ्यर्थी की योग्यता निर्धारित करने के लिए खाना पकाने का ट्रेड कौशल परीक्षण आयोजित किया जाएगा। टिप्पण:- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु सीमा और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
जी नहीं।	दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधे भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है?
(11)	(12)
प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के अधिकारी: (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) ऐसे सहायक हलवाई-सह-रसोईया जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 में कम से कम तीन वर्ष की नियमित सेवा की है, तथा (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो: (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्थान से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण सहित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से खान-पान सेवा में डिप्लोमा अथवा सर्टिफिकेट। (ii) किसी सरकारी विभाग अथवा उपक्रम में खानपान में दो वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 2:-** प्रतिनियुक्ति/आमेलन आधार नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2016 से, या उस तारीख से, जिसको सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स में स्तर में की गई सेवा समझा जाएगा, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमानों का सामान्य वेतन मैट्रिक्स में स्तर के साथ एक श्रेणी में विलय हो गया है, और जहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) के लिए विस्तारित होगा, जिसके (जिनके) लिए वह वेतन मैट्रिक्स में स्तर बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है।	**समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के लिए):** (1) अध्यक्ष, विभागीय कैंटीन, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर - अध्यक्ष (2) किसी भी विद्याशाखा के सहायक प्रोफेसर, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर - सदस्य (3) वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय शर्करा संस्थानं, कानपुर - सदस्य

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)
संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)
लिपिक	*01(2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा (समूह 'ग') अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-2 (19900-63200 रुपए)

चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित और शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं
(5)	(6)	(7)
अचयन पद	18 से 25 वर्ष के बीच। केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए चालीस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए	(क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्थान से वाणिज्य विषय के साथ 12वीं कक्षा पास या समतुल्य; और (ख) कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट अथवा हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति (35 शब्द प्रति मिनट अथवा

	नियत की गई अन्तिम तारीख होगी (न कि वह अन्तिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले, तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	30 शब्द प्रति मिनट की गति प्रत्येक शब्द के लिए 5 की दबाव के औसत से 10500 की दबाव प्रति घंटा अथवा 9000 की दबाव प्रति घंटा के बराबर है।) **टिप्पण 1:-** अर्हताएं, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किये जाए अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण 2:-** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं), उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयुसीमा और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
जी नहीं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के मामले में दो वर्ष, प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के मामले में शून्य	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधे भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है
(11)	(12)
प्रोन्नति : कैंटीन परिचर जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 में कम से कम तीन वर्ष की नियमित सेवा की है, कैंटीन परिचर की लिपिक के पद पर प्रोन्नति के लिए सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान या भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्थान से संगठनात्मक व्यवहार, संचार कौशल और अनुरूप पद्धतियों पर दो सप्ताह का प्रशिक्षण वांछनीय होगा। टिप्पण 1:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति या पुष्टि के लिए):** (1) अध्यक्ष, विभागीय कैंटीन, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर - अध्यक्ष (2) किसी भी विद्याशाखा के सहायक प्रोफेसर, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर - सदस्य (3) वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर - सदस्य

टिप्पण 2:- प्रतिनियुक्ति/आमेलन आधार नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2016 से या उस तारीख से, जिसको सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स में स्तर में की गई सेवा समझा जाएगा, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमानों का सामान्य वेतन मैट्रिक्स में स्तर के साथ एक श्रेणी में विलय हो गया है, और जहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) के लिए विस्तारित होगा, जिसके (जिनके) लिए वह वेतन मैट्रिक्स में स्तर बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है।	

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)
संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-12018/2/2016-श.प्र.]

सुभाशीष पन्डा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th February, 2017

G.S.R. 166(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Food and Consumer Affairs, Department of Food and Civil Supplies, Halwai (Canteen) Recruitment Rules, 1999 and the Ministry of Food and Consumer Affairs, Department of Food and Civil Supplies, Clerk [Kitchen, Coupon, Accounts Office and General Duties, (Canteen)] Recruitment Rules, 1999, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Halwai-cum-Cook and Clerk, in the National Sugar Institute, Kanpur under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Food and Public Distribution, namely :-

1. **Short title and commencement.**– (1) These rules may be called the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Food and Public Distribution, National Sugar Institute, (Halwai-cum-Cook and Clerk) Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, their classification and the Level in the Pay Matrix.**– The number of posts, its classification, and the Level in the Pay Matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, and other educational qualifications, etc.** – The method of recruitment, age-limit, educational qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule.

4. **Disqualification.** – No person,-

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.**- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen, other backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Halwai-cum-Cook	01* (2017) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service, (Group 'C') Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-3 (Rs.21700-69100/-)

Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(5)	(6)	(7)
Not applicable	Between 18 and 25 years. (Relaxable for Government servants upto the age of forty years in accordance with the orders issued by the Central Government). The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.)	(a) 10th class pass from a recognised Board or Institute with certificate or diploma in catering from a recognised institute. (b) Experience of two years in a Government Department or Undertaking in catering. (c) A Trade Skill Test for cooking shall be conducted to assess suitability of the candidate. **Note:-** The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
No	Two years	By Deputation failing which by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental confirmation Committee exists, what is its composition
(11)	(12)
Deputation: Officers of the Central Government: (a)(i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) Assistant Halwai-cum-Cook with atleast three years regular service in Level-2 in the pay matrix; and (b) possessing the following qualification and experience; (i) 10th class pass from a recognised Board or Institute with a certificate or diploma in catering from a recognised institute; and (ii) experience of two years in cooking from a government department or undertaking. **Note 1:-** The Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for deputation shall be fifty	**Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for confirmation):** (i) Chairman, Departmental Canteen, National Sugar Institute, Kanpur - Chairman (ii) Assistant Professor of any discipline, National Sugar Institute, Kanpur - Member (iii) Senior Administrative Officer, National Sugar Institute, Kanpur - Member

six years as on the closing date of receipt of applications. **Note 2:-** For the purpose of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on Seventh Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised level in the pay matrix into one grade with a common level in the pay matrix is the normal replacement grade without any upgradation.	

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)
Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)
2. Clerk	01* (2017) *Subject to variation dependent on work-load	General Central Service, (Group 'C') Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-2 (Rs.19900-63200/-)

Whether selection post or non-selection post	Age-limit for Direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(5)	(6)	(7)
Non-Selection	Between 18 and 25 years. (Relaxable for Government servants upto the age of forty years in accordance with the orders issued by the Central Government). The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.)	(a) 12th class pass or equivalent with Commerce from a recognised Board or Institute; and (b) A typing speed of 35 w.p.m. in English or 30 w.p.m. in Hindi on Computer. (35 w.p.m. and 30 w.p.m. correspond to 10500 Key Depressions per hour on an average of 5 key depressions for each word). **Note 1:-** Qualification is relaxable at the discretion of the competent authority for reasons to be recorded in writing in case of candidate otherwise well qualified. **Note 2:-** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
No	Two years for direct recruits, Nil for promotees.	Promotion failing which by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?
(11)	(12)
Promotion: Canteen Attendant with atleast three years regular service in Level-1 in the pay matrix. Two week training on Organisational Behaviour, Communication Skill and according Practices shall be desirable for the Canteen Attendant for promotion to the post of Clerk from Institute of Secretariat Training and Management or any other Institute recognised by Government of India or State Government. **Note 1:-** Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2:-** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016 the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised level in the pay matrix into one grade with a common level in the pay matrix is the normal replacement grade without any upgradation.	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for promotion or confirmation):** (i) Chairman, Departmental Canteen, National Sugar Institute, Kanpur - Chairman (ii) Assistant Professor of any discipline, National Sugar Institute, Kanpur - Member (iii) Senior Administrative Officer, National Sugar Institute, Kanpur - Member

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)
Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A-12018/2/2016-SA]

SUBHASISH PANDA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.03.03 16:24:05 +05'30'